न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 91/2021

1 सीताराम पुत्र भगवान सहाय जाति जाट निवासी ढ़ाणी मंगरा वाली तन ग्राम पटवारी का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 झाबरसिंह पुत्र सूवालाल।
2 श्रवणी देवी पत्नी भगवान सहाय समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी मंगरा वाली तन ग्राम पटवारी का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 ममता पुत्री भगवान सहाय जाति जाट निवासी ढ़ाणी मंगरा वाली तन ग्राम पटवारी का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल आबाद पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
4 पटवारी हल्का भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आर.ए.एस. प्रार्थना पत्र संख्या 19/2021 उनवानी झाबरसिंह बनाम श्रवणी देवी आदि अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांकित 23.09.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–14-10-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 19/2021 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.04.2021 को रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से स्वंय को प्रार्थी अभिकथित करते हुए अपीलाधीन आवेदन पत्र संख्या 19/2021 उनवानी झाबरसिंह बनाम श्रवणी देवी आदि अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 अपीलांट को अप्रार्थी संख्या 2 एंव रेस्पोडेंट संख्या 2 को अप्रार्थीनी संख्या 01 तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 5 को अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 अभिकथित करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 108,110/1,97 कुल किता 3 कुल रकबा 5.97 हैक्टेयर तन ग्राम भारणी पटवार हल्का भारणी भू अभिलेख निरीक्षक भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जिसका प्रार्थी काबिज, खातेदार, काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वर्णित भूमि का प्रार्थी काबिज, खातेदार, काश्तकार है। इस भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की प्रार्थी को सख्त आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी कीं भूमि खसरा नम्बर 97 में आने जाने हेतु मुख्य सड़क श्रीमाधोपुर से रींगस से होता हुआ खसरा नम्बर 98 जो अप्रार्थीगण संख्या 1

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ता 3 के पति भगवानसहाय की खातेदारी मे दर्ज है में से होता हुआ अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु 30 फीट चौड़ाई के रास्ते की शख्त आवश्यकता है ताकि उक्त रास्ते से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारीशुद्वा भूमि में कृषि कार्य कर सके अपने मवेशियान आदि को ले जा सके एंव कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर, ऊंट लडढ़े आदि का आवागमन करते हुए अपनी कृषि भूमि का रास्ते के रूप में आवागमन आमद रफत करते हुए अपनी कृषि भूमि की सार सम्भाल करते हुए अपनी कृषि उपज को बाजार आदि में जाकर कृषि भूमि का समुचित विकास कर सकें। मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज नहीं है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु नहीं है ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता है तथा उक्त रास्ता ही लघुतम रास्ता है इस कारण उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में व नक्शे में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। विचारण न्यायालय ने आवेदन प्राप्त होने पर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सम्यक तामील नही हुई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना नही की है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय में आवेदनकर्ता ने मौके पर रास्ता चालु होने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में आवेदन धारा 251ए की परिधि में नही आता है। विचारण न्यायालय की आदेशिका पर तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने का आदेश नही है। अपीलांट को जारी नोटिस में दिनांक अंकित नही है। विचारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही, बहस सुनना, आदेश पारित करना एक ही दिन में किया गया है। विचाराधीन आदेश से पूर्व रेस्पोडेंट द्वारा कुछ हिस्से का बेचान भी किया जा चुका है। इस भूमि का कृषि हेतु उपयोग न कर ईंट भट्टे के लिये उपयोग किया जा रहा है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय के निर्णय का अमल पहले किया गया है एवं प्रतिकर की राशि का नोटिस अपीलांट को बाद में प्राप्त हुआ है। अत ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2008 (2) आर. जे. पेज 1142, आर.एल.डब्ल्यू 2003(1) आर.जे. पेज 79 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट द्वारा भूमि का व्यवसायिक उपयोग नही कर कृषि कार्य किया जाता है विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है जिससे व्यवसायिक उपयोग किया जाना प्रकट होता हो। विचारण न्यायालय में अपीलांट सीताराम को नोटिस जारी किया गया है। इसकी पुश्त पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट है कि सीताराम घर पर मौजुद नही मिला घरवाले मौजुद मिले लेकिन नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। इसलिये नोटिस की एक प्रति खुले मकान पश्चिम की ओर दो गवाहो के सामने मय नकल चस्पा की है। इस पर दो गवाहो के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी डिलीवरी रिपोर्ट विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से आदेश कमांक 271 दिनांक 09.04.2021 द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। इसकी पुष्टि तहसीलदार के पत्र कमांक 1609 दिनांक 02.07.2021 से होती है। मौका रिपोर्ट के अनुसार दिये गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम रास्ता/वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजुद नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये एवं प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर करने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है जिससे व्यवसायिक उपयोग किया जाना प्रकट होता हो। विचारण न्यायालय में अपीलांट सीताराम को नोटिस जारी किया गया है। इसकी पुश्त पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट है कि सीताराम घर पर मौजुद नही मिला घरवाले मौजुद मिले लेकिन नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। इसलिये नोटिस की एक प्रति खुले मकान पश्चिम की ओर दो गवाहो के सामने मय नकल चस्पा की है। इस पर दो गवाहो के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी डिलीवरी रिपोर्ट विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से आदेश कमांक 271 दिनांक 09.04.2021 द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। इसकी पुष्टि तहसीलदार के पत्र कमांक 1609 दिनांक 02.07.2021 से होती है। मौका रिपोर्ट के अनुसार दिये गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम रास्ता/वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजुद नही है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251ए के विधिक प्रावधानों की पालना कर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.10.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते